न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—112/2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस—त्रिशूल—3rd फ्लोर, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने इलीसब्रीज, अहमदाबाद गुजरात तथा क्षेत्रीय कार्यालय जी—9, महिमा ट्रिनटी मॉल, 3 एफ—24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान।

——प्रार्थी

बनाम

1. संतोष पतनी रघुवीर निवासी—वार्ड नं. 12, रामगढ़, 16 डीपीएन रामगढ जिला हनुमानगढ 335504।
2. रघुवीर पुत्र बलराम निवासी—706 वाया पोस्ट रामगढ़, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ 335504।

——ऋणी व सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश **दिनांकः—07.02.2024**

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री बुधि प्रकाश गुप्ता वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस—त्रिशूल—3rd फ्लोर, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, इलीसब्रीज, अहमदाबाद गुजरात तथा क्षेत्रीय कार्यालय जी—9, महिमा ट्रिनटी मॉल, 3 एफ—24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर में स्थित व कार्यरत है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान है।

अप्रार्थीगण को 20,00,000/—(रूपये बीस लाख) की ऋण सुविधा ऋण खाता सं. 92003006224297 दिनांक 16.09.2020 को उपलब्ध करायी थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की सुविधा के ऐवज में सम्पत्ति पट्टा नं. 18 ग्राम पंचायत रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 225.83 वर्गगज है जो संतोष पत्नी रघुवीर के स्वामीत्व व आधिपथ्य का मकान है, को बैंक के पास रहन/बंधक रखा था।

अप्रार्थीगण ने उपलब्ध ऋण को बैंक के साथ किये [illegible] अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से दिनांक 02.05.2023 [illegible] ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है, [illegible] के ऋण खातें में बकाया राशि 26,28,598/—रूपये (अखरे छब्बी[illegible] पांच सौ अठानवें रूपये) दिनांक 30.05.2023 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे [illegible] ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं।

प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्र ऋण राशि रूपये 26,28,598/– रूपये दिनांक 30.05.2023 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति पट्टा नं. 18 ग्राम पंचायत रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 225.83 वर्गगज है जो संतोष पत्नी रघुवीर के स्वामीत्व व आधिपथ्य का मकान है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested